फर्द अहकाम

नियम 20

(ब)अंज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

सबीना आदि बनाम सरीफ आदि

(कि)स्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 63/03.11.2021 सन् 2021

(तार)ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
(0)3-11-21	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री दलीप सिंह झोरड़ के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के चक 3 बीएचडी के खाता संख्या 112/114 के मु0नं0 59 के किला नं0 21 की 0.253 हेक्टेयर, मु0नं0 60 के किला नं0 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मु0 नं0 61 के किला नं0 1 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टेयर, मु0 नं0 62 के किला नं0 1/1 की 0.2277 हैक्टेयर, किला नं0 1/2 की 0.0253 हैक्टेयर गैर मुमकीन खाला, किला नं0 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नं0 11 की 0.253 हैक्टेयर, किला नं0 20 की 0.253 हैक्टेयर, किला नं0 21 की 0.253 हेक्टेयर नहरी इस प्रकार कुल कित्ता 34 की कुल 8.3490 हैक्टेयर जिसमें वादीगण के पिता का 5/33 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पर अप्रार्थीगण किसी भी तरीके से अराजी में सायलान के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी न करें। वाद भूमि को रहन व बैय न करें। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे व विरासतन पर यह लागू नहीं होगा। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। आगामी तारीख पेशी तक आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नही बढ़ाई जावेगी। इस संबंध में अप्रार्थी को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20-12-21 को पेश हो।	
20/12/21	पत्रावली पेश श्री पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है अतः पत्रावली 23/3/22 को पेश हो।	
23/3/22	पत्रावली पेश [illegible] पीठासीन अधिकारी ..... RO [illegible] दिनांक 10.5.22 [illegible]	
10/5/22	पत्रावली [illegible] पीठासीन अधिकारी अवकाश पर [illegible] दिनांक 17/7/22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:55:51 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

11/2/26 वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाई गई लेकिन प्रार्थी असालतन/वकालतन हाजिर अदालत नहीं आने से पत्रावली में दिनांक 3.11.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए पत्रावली को वर्तमान स्तर पर अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

(Bhagirath Ram)
... (राजस्व)
... (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:55:51 IST
Reason: SelfAttested